

(1200/CS/MMN)

1200 बजे

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत हुई  
(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)  
... (व्यवधान)

1200 बजे

(इस समय सुश्री महुआ मोइत्रा, श्री एंटो एन्टोनी, डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन, श्री पी. आर. नटराजन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)  
... (व्यवधान)

### सभा पटल पर रखे गए पत्र

1200 बजे

**माननीय सभापति :** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 3, श्री राव इंद्रजीत सिंह।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Sir, I beg to lay on the Table: -

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Corporate Affairs, Gurgaon, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Corporate Affairs, Gurgaon, for the year 2020-2021.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Financial Reporting Authority, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Financial Reporting Authority, New Delhi, for the year 2020-2021.

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-
- (i) The Companies (Registration of Foreign Companies) Amendment Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.538(E) in Gazette of India dated 5<sup>th</sup> August, 2021.
  - (ii) The Companies (Specification of definitions details) Third Amendment Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.539(E) in Gazette of India dated 5<sup>th</sup> August, 2021.
  - (iii) The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Amendment Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.579(E) in Gazette of India dated 19<sup>th</sup> August, 2021.
  - (iv) The Companies (Creation and Maintenance of databank of Independent Directors) Amendment Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.580(E) in Gazette of India dated 19<sup>th</sup> August, 2021.
- (4) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) and (ii) of (3) above.
- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Labour Economics Research and Development, Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of National Institute of Labour Economics Research and Development, Delhi, for the year 2020-2021.
- (6) (i) A copy of the Report (Hindi and English versions) of the National Statistical Commission, New Delhi, for the year 2020-2021.
- (ii) Action Taken Report (Hindi and English versions) on the recommendations of the Annual Report of the National Statistical Commission, New Delhi, for the year 2020-2021.
- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Statistical Institute, Kolkata, for the year 2020-2021.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Statistical Institute, Kolkata, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.
- (iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Statistical Institute, Kolkata, for the year 2020-2021.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 25 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का. आ. 460(अ) जो 30 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को डिब्रू-सैखोबा राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के रूप में घोषित किया गया है।

(दो) का. आ. 1817(अ) जो 7 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को आमचंग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के रूप में घोषित किया गया है।

(तीन) का. आ. 1042(अ) जो 27 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को कुथबर्ट बे वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के रूप में घोषित किया गया है।

(चार) का. आ. 652(अ) जो 4 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के रूप में घोषित किया गया है।

(पांच) का. आ. 1874(अ) जो 11 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के रूप में घोषित किया गया है।

(छह) का. आ. 2943(अ) जो 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को ईगल नेस्ट राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के रूप में घोषित किया गया है।

(सात) का. आ. 1918(अ) जो 4 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के रूप में घोषित किया गया है।

(आठ) का. आ. 1366(अ) जो 28 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को कम्बालाकोण्डा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के रूप में घोषित किया गया है।

(नौ) का. आ. 1868(अ) जो 9 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के रूप में घोषित किया गया है।

- (दस) का. आ. 1563(अ) जो 15 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के रूप में घोषित किया गया है।
- (ग्यारह) का. आ. 1174(अ) जो 13 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्षेत्र को श्री लंकामल्लेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील जोन के रूप में घोषित किया गया है।
- (बारह) पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 24 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 657(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 6 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 541(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) पर्यावरण (संरक्षण) 115 संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 724(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2021 जो दिनांक 24 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 656(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) से (ग्यारह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध अधिनियम, 2021 की धारा 25 की उपधारा (3) के अंतर्गत दिनांक 3 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 4954(अ), जिसके द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1687(अ) में कतिपय संशोधन किये गये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

.....

... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आइटम नंबर 5, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

... (व्यवधान)

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** महोदय, शुभकामना के लिए आपको धन्यवाद।

... (व्यवधान)

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

.....

... (व्यवधान)

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 की पहली छमाही की समाप्ति पर बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय में प्रवृत्तियों की छमाही समीक्षा संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति -दिसम्बर, 2021 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई पर 37वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, जो दिनांक 6 दिसम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/60 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-  
(एक) का.आ.4912 (अ) जो 30 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।  
(दो) 2 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 96/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनियम की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (6) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा 7 के अंतर्गत डीजीटीआर की सिफारिश पर पांच वर्ष की अवधि के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में उद्भूत या उससे निर्यात होने वाले 'एल्युमिनियम के कतिपय फ्लैट रौलड उत्पादों' पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने के आशय वाली दिनांक 6 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 847(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

.....

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development, Noida, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development, Noida, for the year 2020-2021.

----

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1)(एक) नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार

द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

.....

... (व्यवधान)

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

.....

... (व्यवधान)

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
 (दो) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2020-2021के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।  
 (तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) (एक) समग्र शिक्षा(प्राथमिक शिक्षा मिशन का सार्वभौमिकीकरण), दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
 (दो) समग्र शिक्षा(प्राथमिक शिक्षा मिशन का सार्वभौमिकीकरण), दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (3) (एक) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकुला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
 (दो) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकुला के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
 (दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) समग्र शिक्षा कर्नाटक, बंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।



(दो) समग्र शिक्षा कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम ऑथोरिटी (समग्र शिक्षा), भुवनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम ऑथोरिटी (समग्र शिक्षा), भुवनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) समग्र शिक्षा संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

.....

... (व्यवधान)

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम, रवांगला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम, रवांगला के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश, यूपीया के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश, यूपीया के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (7) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, कालीकट के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, कालीकट के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम, साऊथ सिक्किम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम, साऊथ सिक्किम के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (13) (एक) गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेकनोलॉजी, मालदा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेकनोलॉजी, मालदा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (18) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, उना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, उना के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान सम्बलपुर, सम्बलपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान सम्बलपुर, सम्बलपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर, सिलचर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर, सिलचर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक

- प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल के वर्ष

- 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) शिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) शिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।
- (दो) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) शिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) शिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-



- (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड विनियम, 2021 जो 15 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.02-06/2021-आईआईएमके-सीएओ-12 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ विनियम, 2021 जो 18 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईआईएमएल/डीआईआर/2021-10:02:26 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रबंध संस्थान, बोधगया विनियम, 2021 जो 23 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईआईएमबीजी/प्रशासन/विनियम/2021-22/01 में प्रकाशित हुए थे।
- (43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 45 की उप-धारा (3) के अंतर्गत वास्तुकला परिषद (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सीए/373/2021/एमएसईई(विनियम) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, भिलाई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, भिलाई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

.....

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (a) (i) Review by the Government of the working of the New India Assurance Company Limited, Mumbai, for the year 2020-2021.  
  
(ii) Annual Report of the New India Assurance Company Limited, Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (b) (i) Review by the Government of the working of the United India Insurance Company Limited, Chennai, for the year 2020-2021.  
  
(ii) Annual Report of the United India Insurance Company Limited, Chennai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (c) (i) Review by the Government of the working of the National Insurance Company Limited, Kolkata, for the year 2020-2021.  
  
(ii) Annual Report of the National Insurance Company Limited, Kolkata, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (d) (i) Review by the Government of the working of the India Infrastructure Finance Company Limited, New Delhi, for the year 2020-2021.  
  
(ii) Annual Report of the India Infrastructure Finance Company Limited, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Insurance Regulatory and Development Authority of India, Hyderabad, for the year 2020-2021.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Insurance Regulatory and Development Authority of India, Hyderabad, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Insurance Regulatory and Development Authority of India, Hyderabad, for the year 2020-2021.
- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) on the working and activities of the State Bank of India, Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts under sub-section (4) of Section 40 of the State Bank of India Act, 1955 as amended by Banking Laws (Amendment) Act, 1985.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the State Bank of India, Mumbai, for the year 2020-2021.
- (4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
- (i) Review by the Government of the working of the Industrial Investment Bank of India Limited (Voluntary winding up of IIBI to the Equity shareholders of IIBI), Kolkata, for the period from 01.04.2021 to 30.06.2021 and 01.07.2021 to 30.09.2021.
- (ii) Liquidator's Report on the Industrial Investment Bank of India Limited (Voluntary winding up of IIBI to the Equity shareholders of IIBI), Kolkata,

for the from 01.04.2021 to 30.06.2021 and 01.07.2021 to 30.09.2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(5) A copy each of the following Annual Reports (Hindi and English versions) under sub-section (8) of Section 10 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts, 1970 and 1980:-

- (i) Report on the working and activities of the Bank of Maharashtra for the year 2020-2021, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.
- (ii) Report on the working and activities of the Central Bank of India for the year 2020-2021, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.
- (iii) Report on the working and activities of the Indian Overseas Bank for the year 2020-2021, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.
- (iv) Report on the working and activities of the Punjab National Bank for the year 2020-2021, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.
- (v) Report on the working and activities of the Union Bank of India for the year 2020-2021, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.
- (vi) Report on the working and activities of the UCO Bank for the year 2020-2021, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.
- (vii) Report on the working and activities of the Bank of Baroda for the year 2020-2021, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.
- (viii) Report on the working and activities of the Canara Bank for the year 2020-2021, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.
- (ix) Report on the working and activities of the Indian Bank for the year 2020-2021, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.
- (x) Report on the working and activities of the Bank of India for the year 2020-2021, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.
- (xi) Report on the working and activities of the Punjab and Sind Bank for the year 2020-2021, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

(6) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Banks mentioned at item No. (5) above for the year 2020-2021.

(7) A copy of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 36 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993:-

- (i) The Debts Recovery Appellate Tribunal Allahabad and Debts Recovery Tribunals at Allahabad, Ranchi, Jabalpur, Patna, Lucknow and Dehradun Recruitment (Amendment) Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.426(E) in Gazette of India dated 22<sup>nd</sup> June, 2021.
- (ii) The Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai and Debts Recovery Tribunals at Ernakulam, Chennai, Madurai, Coimbatore and Bangalore Recruitment (Amendment) Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.427(E) in Gazette of India dated 22<sup>nd</sup> June, 2021.
- (iii) The Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi and Debts Recovery Tribunals at Chandigarh, Delhi and Jaipur Recruitment (Amendment) Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.428(E) in Gazette of India dated 22<sup>nd</sup> June, 2021.
- (iv) The Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata and Debts Recovery Tribunals at Hyderabad, Guwahati, Kolkata, Visakhapatnam, Siliguri and Cuttack Recruitment (Amendment) Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.429(E) in Gazette of India dated 22<sup>nd</sup> June, 2021.
- (v) The Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai and Debts Recovery Tribunals at Aurangabad, Mumbai, Ahmedabad, Pune and Nagpur Recruitment (Amendment) Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.430(E) in Gazette of India dated 22<sup>nd</sup> June, 2021.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(9) A copy of the National Bank for Financing Infrastructure and Development (Removal of Difficulties) Order, 2021 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.4915(E) in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> December, 2021 under sub-section (2) of section 46 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021.

----

**STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF  
RECOMMENDATIONS IN 289<sup>th</sup> and 299<sup>th</sup> REPORTS OF STANDING  
COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE – LAID**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, I lay the following statements regarding:-

- (1) the status of implementation of the recommendations contained in the 289th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Ministry of Culture.
- (2) the status of implementation of the recommendations contained in the 299th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 289th Report of the Committee on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Ministry of Culture.

----

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF  
RECOMMENDATIONS/OBSERVATIONS IN 284<sup>th</sup> REPORT OF STANDING  
COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE – LAID**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Ajay Bhatt, I lay a statement regarding the status of implementation of further recommendations/observations contained in the 284th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on action taken by the Government on the recommendations contained in the 275th Report of the Committee on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Tourism.

----

(1205/VR/KN)

**माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल):** आइटम नंबर 15 – ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को बाद में लिया जाएगा।

... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आइटम नंबर 16 – श्री अर्जुन राम मेघवाला।

... (व्यवधान)

### **MOTION RE: 27<sup>TH</sup> REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Pralhad Joshi, I beg to move:

“That this House do agree with the Twenty-Seventh Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 17<sup>th</sup> December, 2021.”

**माननीय सभापति :** प्रश्न यह है:

“कि यह सभा 17 दिसम्बर, 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 27वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

----

... (व्यवधान)

**स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय**

1206 बजे

**माननीय सभापति :** माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुई हैं, माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आइटम नंबर 17 – श्री किरेन रिजीजू।

---

## ELECTION LAWS (AMENDMENT) BILL

1207 hours

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI KIREN RIJJU): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951.

**माननीय सभापति :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** श्री डी. रविकुमार – उपस्थित नहीं।

... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** श्री मनीष तिवारी।

... (व्यवधान)

**श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब):** माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि हाउस को ऑर्डर में लेकर आइये... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** मेरा आपसे अनुरोध है कि महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। आपके नेता बोल रहे हैं। Please go back to your seat.

... (व्यवधान)

**श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब):** यह जो विधेयक है, यह सरकार की लेजिस्लेटिव कम्पीटेंस के विरुद्ध है।... (व्यवधान) यह जो विधेयक है, यह सरकार की लेजिस्लेटिव कम्पीटेंस के बियॉड है।...

(व्यवधान) इसका बहुत बड़ा नुकसान भारत के लोकतंत्र को होने वाला है।... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** मनीष जी, आपके नेता बोलना चाहते हैं। अधीर रंजन जी बोलना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I oppose the introduction of the Bill under the title Election Laws (Amendment) Bill, 2021 and simultaneously demand that the legislative document be referred to the Standing Committee concerned for further scrutiny given the fact that it is an infringement upon the Fundamental Right to privacy that has been enunciated by the Supreme Court. ....(Interruptions) It will lead more to disenfranchisement ....(Interruptions).

**माननीय सभापति :** अधीर जी, आप अपोजिशन के नेता हैं। आप अपनी पार्टी के माननीय सदस्यों को विशेष रूप से कहिए कि वे अपनी सीट्स पर जाएं।



... (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): That is why, we are demanding that this Bill should be referred to the Standing Committee. ....(Interruptions)

Sir, I would like to refer to the verdict of Puttaswamy *versus* Union of India, which limited the use of Aadhaar authentication solely to welfare programmes and to link with PAN for the purposes of Income Tax. ....(Interruptions) Previous instances, where the Aadhaar number was used to clean up databases of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme ... (Interruptions) and ended up causing deletion of people from the database. ....(Interruptions)

**माननीय सभापति :** मेरा फिर अनुरोध है कि महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है, उस पर आपत्तियाँ हमारे कुछ माननीय सदस्य कर रहे हैं, आप उसको सुनिए। कृपया अपनी-अपनी सीट्स पर वापस जाइये।

... (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, we do not have the Data Protection Law at our disposal right at this moment. ....(Interruptions) So, you cannot bulldoze this kind of a legislative document, which is replete with legal infirmities. ....(Interruptions).

**माननीय सभापति :** डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन – उपस्थित नहीं।

Shri Manish Tewari ji.

... (Interruptions)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Mr. Chairman, Sir, the Aadhaar Act does not allow for linking of the Aadhaar number to the electoral roll. The Aadhaar Act is very explicit. ....(Interruptions) It is an Act which is for the targeted delivery of financial and other subsidy benefits and services. Voting is a legal right. ....(Interruptions) चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है। यह जो आधार एक्ट है, यह लेजिस्लेटिव कम्पीटेंस के बियोड है।... (व्यवधान) इसलिए हम इस विधेयक के इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मंत्री जी से यह दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए।... (व्यवधान) It is beyond the legislative competence of the Government to introduce the Bill. ....(Interruptions)

**माननीय सभापति :** श्री प्रद्युत बोरदोलोई – उपस्थित नहीं।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद)

... (व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, this Bill is outside the legislative competence of the House as it violates the limits on legislation set by the Supreme Court in the judgement on Puttaswamy Vs. Union of India.

....(Interruptions) The linking of IDs and Aadhaar violates the Fundamental Right of privacy as defined by Puttaswamy. ....(Interruptions)

(1210/SAN/GG)

Sir, the voter enrolment and issuing of voter ID is carried out in pursuance of a constitutional purpose by an independent constitutional body. Subjecting voter enrolment to Aadhaar violates independent sanctity of the constitutional process. ... (Interruptions)

Lastly, this Bill allows the Government the power to suppress, disenfranchise, profile voters and discriminate between the beneficiaries of the Government schemes. It will end up violating the principle of secret ballot, universal adult franchise, and free and fair elections. That is why, I am asking for a division. I want a division. ... (Interruptions)

सर, डिविजन होगा। ... (व्यवधान) सर, डिविजन होना चाहिए। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): No.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Prof. Sougata Rayji.

... (Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to oppose the introduction of the Bill to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951. This Bill is opposed to the Supreme Court judgement in the Puttaswamy case where it is mentioned that Aadhaar is given to all residents whereas EPIC is given to all citizens. ... (Interruptions)

Besides, the Central Government is interfering with the Election Commission. The Secretary to the Prime Minister wrote a letter to the Chief Election Commissioner. ... (Interruptions)

Sir, I oppose the introduction. ... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Ritesh Pandeyji.

**श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर):** सभापित महोदय, मैं इस बिल के इंट्रोडक्शन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ ... (व्यवधान) क्योंकि कहीं न कहीं इस बिल के आने से, जो एक अधिकार लोगों को वोट देने का दिया गया है, उसका हनन हो रहा है। ... (व्यवधान) क्योंकि आधार को, पुट्टास्वामी के प्रोपोशनेलिटी जजमेंट को अगर देखा जाए तो उसको लिंक करने में यह ... (व्यवधान) सर, इससे दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के वोटों का हनन होगा। ... (व्यवधान) उन लोगों के अधिकारों का हनन होगा और आधार का इससे लिंकेज कर के उनके वोट किधर जा रहे हैं, जो उनको एक गुप्त अधिकार होता है, वोट देने का, वह पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है। ... (व्यवधान) इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। ... (व्यवधान)

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** Mr. Chairperson, Sir, I rise to oppose the introduction of the Election Laws (Amendment) Bill, 2021. ... (Interruptions)

No person shall be deprived of his life and personal liberty except in accordance with the procedure established by law. This is what Article 21 of the Constitution says. On the basis of Article 21, in Justice Puttaswamy *versus* Union of India case, the Constitution Bench of the Supreme Court has held that right to privacy is a Fundamental Right under Article 21 of the Constitution. ... (Interruptions)

**माननीय सभापति :** आपके नेता बोल रहे हैं, please go back to your seats and participate in the deliberations. ... (Interruptions)

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** In this case, linking the electoral roll with Aadhaar definitely infringes the right to privacy and violates Article 21. The Parliament is not empowered to take away the Fundamental Rights by means of a law. Therefore, I strongly oppose it. ... (Interruptions)

Also, if the Representation of the People Act ... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Shashi Tharoorji.

... (Interruptions)

**DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM):** Mr. Chairperson, Sir, I will not take up the time of the House by repeating the excellent arguments already made, but I will add one more argument. ... (Interruptions)

We are forgetting that Aadhaar was only meant to be a proof of residence; it is not a proof of citizenship. In our country, only citizens are

allowed to vote. So, if you are in a position where you are asking Aadhaar for voters, all you are getting is a document that reflects residence. It does not reflect any proof of citizenship. Therefore, you are potentially giving the right to vote to non-citizens. ... (*Interruptions*)

Sir, this is an additional objection in addition to the four important objections already raised by other colleagues. ... (*Interruptions*)

Thank you. ... (*Interruptions*)

**श्री किरेन रिजीजू:** सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्यों ने इस बिल के इंट्रोडक्शन को अपोज करने का जो तर्क दिया है, वह बिल्कुल निराधार है और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया है, वह भी बिल्कुल मिसइंटरप्रेट किया गया है। ... (व्यवधान) उन्होंने न ही इस बिल के ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से समझा है और न ही जो तर्क दिया है, वह सही है। ... (व्यवधान)

सर, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि इस देश में अगर सरकार कोई कदम उठाती है, जैसे पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट में यह कहा गया है कि इलैक्शन का जो इलैक्टोरल रोल होता है, वह क्रेडिबल होना चाहिए, ताकि इलैक्शन ही साफ तरीके से क्रेडिबल हो। ... (व्यवधान)

(1215/RV/SNT)

Section 17 of the Representation of the People Act, 1950 states: "No person to be registered in more than one constituency. No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one constituency." ... (*Interruptions*) सरकार यह कोशिश करती है कि बोगस वोटिंग रुकनी चाहिए और यदि फेक वोटिंग, नकली वोटिंग को रोकने के लिए कदम उठाया जाता है तो सदन को इसमें साथ देना चाहिए।... (व्यवधान)

सर, इसके साथ-साथ मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो "...legality of this action which articulates the existence of law." कहा गया है, यह बिल्कुल क्वालिफाई होता है क्योंकि हम एक कानून बनाने जा रहे हैं और इसके तहत लोगों को एक बराबरी का दर्जा देने जा रहे हैं।... (व्यवधान)

सर, इसके साथ-साथ इसमें 'legitimate state aim' होना चाहिए यानी कि 'इंटेरेस्ट ऑफ द स्टेट' होना चाहिए।... (व्यवधान) इस काम के माध्यम से, 'आधार' को इलेक्टोरल के साथ लिंक करने से स्टेट का बिल्कुल इंटेरेस्ट है।... (व्यवधान) यह 'test of proportionality' में बिल्कुल क्वालिफाई होता है, इसलिए इस बिल को पूरे एकजुट होकर समर्थन करने का मैं आह्वान करता हूँ।... (व्यवधान)

**माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल):** प्रश्न यह है :

“कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI KIREN RIJJU: Sir, I introduce the Bill.

---

... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1217 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।